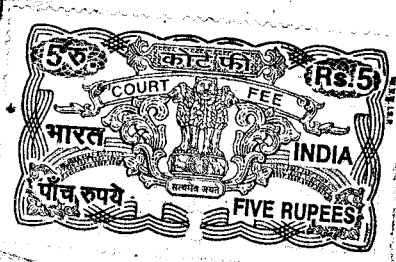

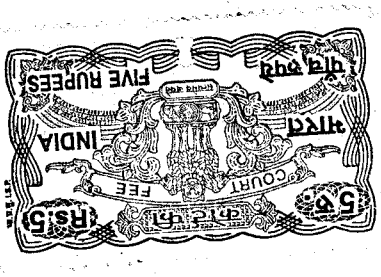

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल कैम्प उज्जैन ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / निगरानी

निग0 555/II/10

:1: महेश कुमार पिता कन्हैयालाल जी माथुर आयु 47 वर्ष धंधा कृषि, निवासी ग्राम वीरीयाखेड़ी तेहसील बडनगर जिला उज्जैन

श्री श्यामसुन्दर गौड़ अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 21-4-10 को कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत किया।
21-4-10
कैम्प उज्जैन

:2: सुशीला बाई पति कन्हैयालाल जी पति कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम वीरीया खेड़ी तै0 बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0 प्रार्थी आवेदकगण

विरूद्ध

:1: श्रीमती सरला बाई पति स्व0 कन्हैयालाल जी माथुर

:2: श्रीमती राजू बाई पति लोकेन्द्र सिंह निगम ।

:3: श्रीमती पुनी बाई पति भैरूलाल जी जाति सिरवी समस्त निवासीगण वीरीया खेड़ी तै0 बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0 ---- प्रतिप्रार्थीगण अनावेदकगण

विषय :- श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री बंसल साहब उज्जैन जिला उज्जैन के अपील क्रमांक 431/08"09 आदेश दिनांक 6-4-2010 से असंतुष्ट होकर श्रीमान के न्यायालय में उक्त रिवजन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

मान्यवर महोदय

प्रार्थी निगरानीकर्ता की और से निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

21/4/2010

यह कि स्व0 श्री कन्हैयालाल जी पिता श्री लक्ष्मण सिंह जी कायस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 555–एक/2010 जिला उज्जैन

महेश कुमार विरूद्ध सरलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन के प्रकरण कमांक 431/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 06–4–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि मृतक कन्हैयालाल की भूमि पर वसीयत के आधार पर विधवा पत्नी सरलाबाई के नाम से नामान्तरण तहसीलदार ने किया। उक्त सीमांकन आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि मृतक कन्हैयालाल द्वारा जीवनकाल में पत्नी सरलाबाई के नाम वसीयत की है जो उपपंयीयक के यहां रजिस्टर्ड हुई। पुत्र को जीवनकाल में भूमि दिया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध है। वसीयत को फर्जी सिद्ध करने में आवेदक के सफलन नहीं होने से अपर आयुक्त ने अपील को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के	

समवर्ती निष्कर्ष हैं। अतः निगरानी को ग्राह्य करने का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर